मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

विदेशों में काले धन का कारखाना 3
संदिग्ध है सीवीसी चीफ की भूमिका 4
राम-रहीम के आगे हाथ जोड़ते रहे 5
सवर्ण आरक्षण की पहेली 6
बैंकों में घटता जन-विश्वास 8

वर्ष 34 अंक -10 फ़रीदाबाद 20-26 जनवरी 2019 फोन - 9999595632 ₹ 2.50

सीबीआई ने बिना अपराधी पकड़े दी क्लोजर रिपोर्ट

सुनपेड़ कांड के सभी आरोपी डिस्चार्ज होने की ओर

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब ढाई साल तक पानी में मथानी घुमाने के बाद सीबीआई ने बीते सप्ताह पंचकूला स्थित अपनी विशेष अदालत में रिपोर्ट दे दी है कि 'पीड़ित' जितेंद्र का यह आरोप गलत है कि आग उसके दुश्मनों ने बाहर से यानी खिड़की में से लगाई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा बताते हैं कि बाहर से आग लगाये जाने का न तो कोई सबूत मिल पाया और न ही, 'पीड़ित' के बताये अनुसार आग लग सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई यह कहने का साहस नहीं जुटा पाई कि आग लगाने व अपने नवजात बच्चों को जला कर मारने का दोषी खुद जितेन्दर ही है।

19 अक्तूबर 2015 को बल्लबगढ़ से सटे गांव सुनपेड़ में दलित जितेन्दर ने अपने विरोधी 12 ठाकुरों को सज़ा दिलाने के इरादे से अपने घर में खुद ही आग लगा कर एक नाटक करना चाहा था। लेकिन आग यकायक उसके काबू से बाहर हो गयी। परिणामस्वरूप उसके दो शिशु जिंदा जल मरे तथा पत्नी रेखा कई दिन दिल्ली स्थित सफ़दरजंग अस्पताल में दाखिल रह कर मौत के मुंह से निकल पाई थी।

'मज़दूर मोर्चा' ने अपने 1-15 नवम्बर 2015 के अंक में 'लोमहर्षक सुनपेड़ अग्निकांड पर कोई सच नहीं बोलना चाहता' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इस में बताया गया था कि न तो शिकायतकर्ता सच बोल रहा है और न ही तफ़्तीश करने वाले पुलिस अधिकारी सच बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। जनहित में कोई काम करके वोट बटोरने के बजाय भाजपा की मनोहर सरकार ने दलित वोट बैंक को काबू करने के लिये शिकायतकर्ता

तीन वर्ष पूर्व नाटक करता जितेन्द्र : पर्दा उठेगा तो तेरा क्या होगा ?

की झूठी कहानी पर से पर्दा नहीं उठने दिया। तत्कालीन थाना प्रभारी से लेकर पुलिस आयुक्त तक को इस सारी हकीकत का पूरा ज्ञान तुरन्त हो गया था। वे जानते व मानते थे कि यह सारा ड्रामा खुद 'पीड़ित' होने का नाटक कर रहे जितेंदर का ही किया धरा है लेकिन सियासी दबाव के चलते सच्चाई को दबाये रखा गया तथा अपनी जान छुड़ाते हुये मुख्यमंत्री खट्टर ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। पुलिस जब भी जितेन्दर से पूछताछ करती तो वह तरह-तरह के ढोंग बिखेरने लगता था। इतना ही नहीं सस्ती शौहरत लूटने के लिये खट्टर ने झट से 10 लाख का चैक भी जितेन्दर को सौंप दिया और उसे सरकारी नौकरी तक देने का वायदा कर दिया। वह बात अलग है कि बाद में जब खट्टर के दिमाग ने काम करना शुरू किया तो नौकरी का वायदा पूरा नहीं किया।

कहने मात्र को तो जितेन्दर दलित है और आरोपित ठाकुर दबंग हैं, वरना जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। आरोपित अधिकांश ठाकुरों की हालात किसी दिहाड़ीदार मज़दूर से बेहतर नहीं है जबकि जितेन्दर उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सम्पन्न है। लेकिन जाति विशेष का लेबल लगा कर उसने सारी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को बंधक बना लिया। इससे गांव में जातिय वैमनस्य तो बढ़ा ही है, खट्टर की भाजपा को भी कोई लाभ नहीं हुआ।

दलितों को वोट बैंक तो पहले भी मायावती का था और अब भी है, हां ठाकुरों व अन्य सवर्णों के जो वोट भाजपा को मिल सकते थे वे भी हाथ से निकलने तय हैं। इस सारे कांड में एक झूठे की शिकायत पर सरकार ने जो 12 गरीब ठाकुरों के घर उजाड़ दिये, और उन्हें आज तक कोई मुआवजा भी देने की जरूरत मनोहर सरकार ने नही समझी। जाहिर है मनोहर सरकार को अपनी भूल का खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा।

फर्जीवाड़ा करने वाले फारेसिंक अफसर की चार्जशीट व निलम्बन

करनाल (म.मो.)। गतांक में प्रकाशित किया गया था कि किस प्रकार एफएसएल (फारेंसिंक साईंस लैब) के असिस्टेट डायरेक्टर अजीत ग्रेवाल ने अपने डायरेक्टर सिरीकांत जाधव आईपीएस के फर्जी दस्तखत करके एक अन्य एफएसएल कर्मी सरोज देवी का तबादला दूसरी यूनिट से अपनी (बैलेस्टिक) यूनिट में कराने का प्रयास किया था। गौरतलब बात यह भी रही कि ग्रेवाल ने वह फर्जी पत्र डीजीपी के माध्यम से न भेजकर सीधे गृह सचिव को भेज दिया। नियमों को ताक पर सीधे गृह सचिव को पहुंचे इस पत्र पर कार्यवाही करके गृह सचिवालय ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी भी इस मामले में मिलीभगत रही थी, वरना इस तरह सीधे प्राप्त उस पत्र की पालना करने की अपेक्षा पत्र भेजने वाले की जवाब तलबी करनी चाहिए थी। लगभग ऐसा ही काम डीजीपी कार्यालय ने भी किया जो गृह सचिवालय से आये आदेश की पालना चुपचाप कर दी।

इसी तरह की मिलीभगत के चलते, जब ग्रेवाल का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और डायरेक्टर द्वारा कार्यवाही किये जाने व गिरफतारी के बावजूद भी न तो डीजीपी के कान पर कोई जूं रेंगी और न ही गृह सचिव के। इस सारे मामले को लेकर गतांक में 'मज़दूर मोर्चा' ने पूरा समाचार प्रकाशित किया था। लगता है कि उक्त समाचार पढ़ने के बाद चण्डीगढ़ में बैठे दोनों उच्चाधिकारियों को बात समझ आ गयी और ग्रेवाल को निलम्बित करने के साथ-साथ चार्जशीट भी जारी कर दी। निलम्बन के दौरान ग्रेवाल को पंचकुला स्थित डीजीपी कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।

कन्हैया कुमार को चार्जशीट करने का मोदी का सपना, सपना ही रह गया

करीब साढ़े तीन साल से जेएनयू-जेएनयू चिल्ला रहे मोदी और संघ के भेड़ियों को तगड़ा झटका लगा जब दिल्ली की अदालत ने कन्हैया कुमार के खिलाफ दायर चार्जशीट को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना क्यों दाखिल की गई ? जाहिर है अब जी और रिपलब्कि टीवी जैसे दलाल चैनलों को मोदी भभकी बनाये रखने के लिए नये तिकड़म जुटाने पड़ेगे।

एमसीएफ़ में एसई बनने से पहले शिक्षा ग्रहण करें: हाईकोर्ट

नगर का सत्यानाश करने के लिये शिक्षित इंजीनियरों की जरूरत नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगम के तीन एक्सियन दीपक किंगर, धर्म सिंह व आनंद स्वरूप ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि उन्हें एसई बनाया जाय जबकि उनसे जूनियर रामप्रकाश को एसई बनाया जा रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने तीनों को कहा कि पहले इन्जीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करो फ़िर एसई बनने की बात करना। दरअसल ये तीनों डिप्लोमा के आधार पर नगर निगम में जेई भर्ती हो गये थे और बाद में बिना किसी इन्जीनियरिंग कॉलेज में पढे ही डिग्री भी ले आये। उसके आधार पर ये अपने आप को डिग्रीधारक इन्जीनियर मान कर एसई बनाये जाने का दावा ठोक रहे हैं।

नगर निगम में छोटे-बड़े मिला कर करीब 100 इन्जीनियर हैं। इनमें से अधिकांश डिप्लोमाधारक हैं। एक-दो तो बिना डिप्लोमा के भी हैं। जो काम और जैसा काम ये लोग कर रहे हैं, उसके लिये न तो डिप्लोमा की जरूरत है न ही डिग्री की। इनका काम तो केवल टेंडर निकलवाना, ठेकेदारों को काम एलॉट करना, उनके बिल पास करके अपना कमीशन लेना मात्र है। निगम के किसी भी निर्माण कार्य में इनकी इन्जीनियरिंग का कहीं कोई इस्तेमाल होता नज़र नहीं आता। इनकी किसी भी सड़क का न तो कार्यशैली सही है और न ही ढलान। इसकी वजह से हर सड़क जरा सी बरसात में डूबी रहती है। अजरोंदा चौक, बाटा चौक, ओल्ड फ़रीदाबाद व ग्रीनफ़ील्ड कॉलोनी के रेलवे अंडरपास जरा सी बरसात में भर जाते हैं और यातायात ठप्प हो जाता है। बरसों से चल रहा यह सिलसिला इन तथाकथित इन्जीनियरों के काबू नहीं आ रहा।

जहां तक सवाल है ठेकेदारों को काम अलॉट करने का तो ये नालायक इंजीनियर अपने से भी नलायक उन ठेकेदारों को काम अलॉट करते हैं जो उन्हें अधिकतम लूट कमाई दे सकें। क्योंकि अनपढ ठेकेदार इनसे दब कर रहता है और इनके इशारों पर तमाम उल्टे-पुल्टे काम करता है। इसी के चलते निगम के तमाम काम घटिया स्तर के होते हैं, इनकी आयु भी बहुत कम रहती है। इसका जीता-जागता उदाहरण नगर निगम का ऑडीटोरियम है। इसके उल्ट यदि बढिया क्वालीफ़ाइड ठेकेदारों को काम अलॉट किये जायें तो वे काम तो टिकाऊ और बढिया करेंगे लेकिन इन नालायक इंजीनियरों को दो-चार परसेंट से अधिक कमीशन नहीं देंगे।

शहर भर में उफ़नते सीवर का कारण ये इन्जीनियर बताते हैं कि सीवर लाइन 50 साल से भी अधिक पुरानी हो गयी है। इन मूर्खों को शायद यह नहीं पता कि कोई भी सीवर लाइन 20-30 साल के लिये नहीं बल्कि सैंकड़ों साल के लिये बनाई जाती है। लंदन की सीवर लाइन करीब 150 वर्ष पुरानी है। सैंकड़ों करोड़ की लागत से बनाये गये इनके एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) न कभी ढंग से चले और न कभी चलेंगे। और तो और एसटीपी तक सीवेज पहुंचाने वाली पाइप लाइन तक ये लोग ठीक से नहीं डाल पाते। जिसके चलते अधिकांश सीवेज को इधर-उधर या गुड़गांव व आगरा नहर में डालते हैं। पीने के पानी की आपूर्ति व स्ट्रीट लाइट जैसे साधारण काम तक इनके बस के नहीं हैं। बात करते हैं ये लोग एसई व चीफ़ इन्जीनियर बनने की।

वास्तव में हकीकत तो यह है कि किसी एक दो को छोड़ कर बाकी तो जेई बनने के भी लायक नहीं हैं। आज भी यदि इनमें से कोई दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन, रेलवे अथवा किसी अन्य संस्थान में आवेदन करें तो इन 'बड़े-बड़े' इन्जीनियरों को कोई जेई तक भी न रखे। दरअसल नगर निगम अर्ध-सरकारी महकमा होने की वजह से इसमें राजनीतिक प्रभाव के चलते हर उस नालायक को भर्ती कराया जा सकता है जिसे और कहीं जगह न मिले। अपनी इसी योग्यता के चलते ये लोग अवैध कब्ज़े व अवैध निर्माण करा सकते हैं, तमाम तरह के फ़र्जीवाड़े करके मोटी कमाई कर सकते हैं।